"वेब परिचालन"

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: हिअ.8(2)/2025-16/वार्षिक कार्यक्रम/ 1483 — दिनांक: 09/07/2025

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)/
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय/आं.प्र.सं.),
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय (प्र.से.प्र.)

विषय: सरकारी कामकाज में हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में एतद्द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या **फा.सं. 11012/1/2025 रा.भा.नी.** दिनांक 02/05/2025 के साथ संलग्न राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अ. शा. पत्र संख्या **11034/03/2025-राजभाषा (नीति)-पार्ट -1**, दिनांक 22 अप्रैल, 2025 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। (प्रति संलग्न)

आपसे अनुरोध है कि अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करते हुए हिंदी का पत्राचार बढ़ाया जाए ताकि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, द्वारा जारी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम, क.भ.नि.सं. की वेबसाईट पर कार्यालय आदेश/ सर्कुलर में क्रम संख्या 30 पर उपलब्ध है।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरि।

(वीणा रानी यादव)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

फा.सं. 11012/1/2025 रा.भा.नी.

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राजभाषा नीति अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

दिनांक 02.05.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सरकारी कामकाज मे हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में एतद्द्वारा संलग्न राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अ.शा.पत्र संख्या 11034/03/2025-राजभाषा (नीति)-पार्ट-1 दिनांक 22 अप्रैल, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें।(प्रति संलग्न)

उक्त पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि हाल ही में, माननीय केन्द्रीय, गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इस बात पर बल दिया गया है कि भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके अनुपालनार्थ श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों से यह अनुरोध किया जाता है कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं हिंदी पत्राचार को बढ़ाने हेतु कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे कि हिंदी पत्राचार में वृद्धि के साथ-साथ लक्ष्यों की प्राप्ति की समय-समय पर समीक्षा की जा सके तथा यथोचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए ताकि वर्ष के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

इस संबंध में वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

2/5/25

(निकोलस खलखो)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग तथा संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख।

2/5/25

(निकोलस खलखो)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
स . .
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

सत्यमेव जयते

अ.शा. पत्र सं 11034/03/2025-राजभाषा(नीति)-पार्ट 1

दिनांक : 22 अप्रैल, 2025

प्रिय महोदय / महोदया

विषय: **सरकारी कामकाज में हिंदी में पत्राचार को बढ़ाने के संबंध में।**

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा संकल्प, 1968 के उपबंधों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रति वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है जिसमें हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।

2. अभी हाल ही में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए समुचित यह होगा कि केंद्र सरकार के सचिवों द्वारा दूसरे मंत्रालयों के सचिव के साथ मुख्य रूप से हिंदी में ही पत्राचार करने का प्रयास किया जाए जिससे अन्य सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य हिंदी में कार्य करने का प्रेरक एवं अनुकूल वातावरण बन सके।

3. मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उच्च स्तर पर उठाए जाने वाले ये कदम राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दिशा में अधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल और उत्साह बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे।

शुभकामनाओं सहित

शुभेच्छु,

अ आर्या

(अंशुली आर्या)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in